गोपनीय

संख्या:-271 आर/छ:-पु-5-91-573/91

षक,

श्री एस0के0रिजवी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

ावा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश ।

ह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 1991

वेषय:-आग्नेयास्त्र लाइसेंसों का निलंबन/निरस्तीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुा है कि शासन को स आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा आग्नेयास्त्रों ा निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही में अपेक्षित तत्परता नहीं बरती जा ही है, जिसके कारण कभी-कभी शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न ाती हैं।

2. इस संबंध में आपका ध्यान समय-समय पर जारी किये शासनादेश ोपनीय अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 5844 आर/आठ-अनुभाग-5-526/77, दिनांक 27-8-1977, संख्या 3214 आर/आठ-5-667/83, दिनांक 4.6.1983 एवं संख्या 3214 आर/आठ-5-812/83, दिनांक 29.5.1986 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहना है कि यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष सामग्री है और उन्हें यह स्पष्ट हो जाता है कि लाईसेंसी के पास शस्त्र रहने से शान्ति अथवा जन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, तो वह (लाइसेंसिंग प्राधिकारी) कारण अभिलिखित करने के उपरान्त सीधे अथवा किसी जॉच अथवा लाइसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये बिना लाइसेंस निलम्बित निरस्त कर सकते हैं, परन्तु उन मामलों में जिनमें लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह स्पष्ट नहीं है कि लाइसेंसी के पास शस्त्र रहने से जन शान्ति अथवा जन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और सही स्थिति की जानकारी हेतु जॉच लम्बित हो तो ऐसी जॉच के दौरान लाइसेंस निलम्बित नहीं किया जा सकता है।

3. आयुध अधिनियम की धारा 2 (एफ) तथा धारा -17 के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी/नवीनीकरण प्राधिकारी आग्नेयास्त्र लाइसेंस निलम्बित/निरस्तीकरण करने के लिए सक्षम हैं।

4. अत: आपसे अनुरोध है कि यदि किसी लाइसेंसी के विरूद्ध ऐसी शिकायत प्राप्त होती हैं जिससे जन सुरक्षा अथवा शान्ति व्यवस्था को खतरा है अथवा लाईसेंस में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है तो

नियमानुसार आग्नेयास्त्र के निलम्बन/निरस्तीकरण के बारे में यदि आप स्वयं लाइसेसिंग प्राधिकारी/नवीनीकरण प्राधिकारी हैं तो अपेक्षित कार्यवाही कृपया तत्परता से करने का कष्ट करें और यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी राज्य सरकार है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिएं एक आरोप पत्र का आलेख अपने जिले के डी0जी0सी0 अथवा अभियोजन अधिकारी से परामर्श करके शासन को भेजें।

5. कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(एस0के0रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या:-271(1) आर/छ:-पु-5-91-573/91

1. प्रतिलिपि समस्त मण्डला युक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. गृह पुलिस(पुलिस) अनुभाग-13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(गंगा राम)
सयुंक्त सचिव